



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128594

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3726/2026

विवेक बादल उर्फ बबली बादल

... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : हिरदेश कुमार यादव, सुषमा यादव

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : राजेश प्रसाद यादव, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हिरदेश कुमार यादव, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश प्रसाद यादव के होल्डिंग ब्रीफ श्री पंकज कुमार सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना।
2. वर्तमान अपील, अपीलार्थी द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 33 सन् 2026 में पारित संज्ञान एवं समन आदेश दिनांक 27.02.2026 तथा आरोप-पत्र संख्या A01 सन् 2025 दिनांक 08.12.2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 156 सन् 2025, धारा 352, 351(2), 115(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना ऐट, जनपद जालौन एट उरई से उद्भूत है, को अपास्त किया जाए।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तत्काल अपील के माध्यम से प्रस्तुत किया, अपीलकर्ता ने संबंधित न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.02.2026 के समन आदेश के साथ-साथ अपीलकर्ता के खिलाफ दायर आरोप पत्र को चुनौती दी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, अपीलकर्ता के खिलाफ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 352, 351 (2), 115 (2) बीएनएस और धारा 3 (2) 5 ए एससी/एसटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है।

4. उन्होंने आगे कहा कि 13.03.2026 को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रकरण में पक्षों के बीच समझौता किया गया है और पक्षों के बीच किए गए समझौते को पेपर-बुक के पृष्ठ-53 पर संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को अब संबंधित अदालत द्वारा सत्यापित कर लिया गया है और सत्यापन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है।

5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान प्रकरण एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित है जो विशेष अधिनियम है, लेकिन **रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एससीसी 635** के प्रकरण में शीर्ष न्यायालय के मददेनजर एससी/एसटी अधिनियम के प्रकरण में भी समझौते के आधार पर यह न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

6. वह आगे प्रस्तुत करता है, वर्तमान विवाद व्यक्तिगत विवाद प्रतीत होता है और पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए। वह आगे प्रस्तुत करता है, इसलिए, तत्काल अपील की अनुमति दी जा सकती है और अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित कार्यवाही करने वाले पक्षों के बीच निष्पादित समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद दोनों पक्षों ने प्रकरण से समझौता किया है और यहां तक कि पक्षों के बीच किए गए समझौते को भी संबंधित अदालत द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है।

8. विद्वान एजीए आगे प्रस्तुत करता है, क्योंकि दोनों पक्षों ने न्यायालय के बाहर विवाद का निपटारा कर दिया है, इसलिए, राज्य को कोई आपत्ति नहीं है यदि अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित कार्यवाही को पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया जाता है।

9. विपक्षी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि पक्षों के बीच प्रकरण का निपटारा कर लिया गया है और इस संबंध में पक्षों के बीच किए गए समझौते को संबंधित अदालत द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है,



यहां तक कि विपक्षी संख्या 2 को भी कोई आपत्ति नहीं है यदि समझौता के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

10. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और प्रकरण के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

11. तत्काल अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ पारित दिनांक 27.02.2026 के आक्षेपित समन आदेश के साथ-साथ उसके खिलाफ इस आधार पर दायर आरोप-पत्र को चुनौती दी कि 13.03.2026 को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद दोनों पक्षों ने अपने विवाद को न्यायालय के बाहर सुलझा लिया है और इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी किया गया था।

12. रिकॉर्ड से पता चलता है कि पक्षों के बीच किए गए समझौते को पेपर-बुक के पृष्ठ-53 पर संलग्न किया गया है और इस समझौते को संबंधित न्यायालय द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है और संबंधित न्यायालय की दिनांक 08.06.2026 की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है।

13. इसके अलावा, हालांकि, वर्तमान प्रकरण एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है जो विशेष अधिनियम है, लेकिन रामावतार (पूर्वोक्त) के प्रकरण में शीर्ष न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, यहां तक कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से संबंधित प्रकरण में भी आरोपी के बीच किए गए समझौते के आधार पर और अभियुक्त के खिलाफ लंबित मुखबिर कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है और इस शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा भी किया जा सकता है? इस न्यायालय ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14 ए (1) के तहत दायर अपील में अपील की है।

14. अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं है जिसके आधार पर अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जा सके। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

15. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता के खिलाफ पारित समन आदेश दिनांक 27.02.2026 और उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही को पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर रद्द किया जाता है।

16. तदनुसार, वर्तमान अपील **स्वीकृत** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22 जून 2026

एके पांडेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।